प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कौशाम्बी।

दिनांक 06.06.2019

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–6221/एडमिन–जी–1/2019 इलाहाबाद दिनांकित 14.05.2019 तथा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–102/सात–न्याय–2–2015–728/86 दिनांकित 18.06.2015 के अधीन माननीय जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी से विचार विमर्श के उपरान्त परिवार न्यायालय, कौशाम्बी में परामर्शदाता की आबद्धता के सम्बन्ध में इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 04.06.2019 तक प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में सायं 05.00 बजे तक मांगे गये थे, परन्तु अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

इस सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश कौशाम्बी के निर्देशानुसार–

परिवार न्यायालय कौशाम्बी में परामर्शदाता के रूप में आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जिनकी आयु 35–65 वर्ष के बीच हो जो समाज शास्त्र/मनोविज्ञान में से किसी एक से स्नातक हो और समाज सेवा का अनुभव हो अपने स्वप्रमाणित फोटो सहित आवेदन पत्र **दिनांक 15.06.2019 तक अथवा उससे पूर्व, प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय कौशाम्बी में सायंकाल 05.00 बजे तक** प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई आवेदन नहीं लिया जायेगा। सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्रीधारक तथा पारिवारिक कौन्सिलिंग में दो वर्ष के अनुभव वालों को वरीयता दी जायेगी। परामर्शदाता का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर तीन वर्ष के लिए उनके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है। वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे और उनकी नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी। प्राप्त सूची पर माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जायेगी।

Sd/-

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कौशाम्बी।

प्रतिलिपिः–

01. जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
02. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी को स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
03. मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, कौशाम्बी व जिला कलेक्ट्रेट कौशाम्बी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
04. सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी को जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
05. दैनिक यूनाईटेड भारत तथा जनमोर्चा को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने आगामी अंक में सरकारी न्यूनतम दर पर उक्त विज्ञापन का प्रकाशन कर दो प्रतियों में भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरधारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

6/6/19.

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कौशाम्बी।